CMI LIMITED
AN ISO 9001, ISO 14001
& BS ISO 45001 COMPANY
CIN No. L74899DL 1967 PLC018031

Regd. Office :
PD-II, Jhilmil Metro Station,
Jhilmil Industrial Area,
Delhi-110095
Phone : 011-49570000

Works : Baddi, Himachal Pradesh-173205 (India)
Faridabad, Haryana-121006 (India)

CMI/CS/2023-24/ **August 04, 2023**

BSE Corporate Compliance & Listing Centre
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
MUMBAI-400001

Listing Department
National Stock Exchange of India
'Exchange Plaza', Bandra Kurla Complex,
MUMBAI-400051

BSE Scrip Code: 517330/ NSE Scrip Code: CMICABLES

Sub: Announcement pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30, read with Part A of Schedule III, of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 and in furtherance to our letter dated August 03, 2023 regarding initiation of the corporate insolvency resolution process (CIRP) as per the order passed by Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi bench ("NCLT"), please find enclosed herewith the copies of public announcements published on August 02, 2023 in the following newspapers

- Financial Express (National Daily newspaper) on August 02, 2023
- Jansatta (National Daily newspaper) on August 02, 2023
- Dainik Jagran (Daily newspaper of the State) on August 02, 2023

Please note that the advertisement has also been uploaded on the website of the Company.

You are requested to take the same on record.

Thanking you,
For **CMI LIMITED**

CMI LIMITED DELHI

Tanya Kukreja
Company Secretary

NALCO — National Aluminium Company Limited

(A Government of India Enterprise)

NALCO Bhawan, Plot No-P/1, Nayapalli, Bhubaneswar-751013, Odisha
(CIN : L27203OR1981GOI000920)
A NAVRATNA COMPANY

NOTICE TO SHAREHOLDERS

TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION & PROTECTION FUND

This Notice is published pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"),as amended.

The Rules, inter-alia, provide for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF), set up by the Central Government. The Company has sent individual communications to those shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF under the said Rules at their latest available addresses. The Company has uploaded the details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF on its website at **www.nalcoindia.com.** Shareholders are requested to refer to the Investor Services page on the Company's website to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF.

Notice is hereby given to all such shareholders to make application to the Company's Registrar (M/s.KFin Technologies Limited) by 31.10.2023 with a request to claim their unpaid final dividend for the year 2015-16 onwards so that the shares are not transferred to the IEPF. It may please be noted that if no claim is made by 31.10.2023, the Company will be compelled to transfer the unpaid final dividend for F.Y. 2015-16 and shares to the IEPF, without any further notice.

The shareholders may note that both unclaimed dividend(s) and equity share(s) transferred to IEPF can be claimed back by obtaining entitlement letter from the Company and by submitting an online application in Form IEPF-5 available on **www.iepf.gov.in** and sending physical copy of the same, duly signed along with requisite documents as enumerated in form IEPF-5 to the Nodal Officer of the Company.

For any clarification on the matter, please contact the Company's Registrar and Transfer Agents: Shri G.Ramdas, Senior Manager, M/s. KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032; Toll Free No.-18003094001; **email: einward.ris@kfintech.com; website: www.kfintech.com.**

For **National Aluminium Company Limited**
Sd/-
(N. K. Mohanty)
GGM & Company Secretary

Place : Bhubaneswar
Date : 03.07.2023

NARBHERAM & CO LTD

CIN: L70101WB1930PLC006742
Regd. Office : Unit No.- 9E, Block-III, Diamond Chamber, 4, Chowringhee Lane, Kolkata - 700016
Email: info@narbheram.com, Website: www.narbheram.com

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

(Rs. In lakhs)

Sl. No	PARTICULARS	Quarter ended 30-June-2023 (Unaudited)	Quarter ended 30-June-2022 (Unaudited)	Year ended 31-Mar-2023 (Audited)
1	Total income from operations (net)	6.67	3.94	19.19
2	Net Profit/ (Loss) for the quarter (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	3.16	1.49	5.10
3	Net Profit/(Loss) for the quarter before tax (after Exceptional and/or Extra ordinary Items)	3.16	1.49	5.10
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	3.16	1.49	3.82
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3.16	1.49	3.82
6	Equity Share Capital	30.00	30.00	30.00
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)			
	Basic :	1.05	0.50	1.27
	Diluted :	1.05	0.50	1.27

NOTES:

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange and the listed entity www.narbheram.com

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
JAY PRAFUL KAMANI
WHOLETIME DIRECTOR
DIN: 00581816

Place: Kolkata
Date: 31.07.2023

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF CMI LIMITED

RELEVANT PARTICULARS		
1.	Name of corporate debtor	**CMI Limited**
2.	Date of incorporation of corporate debtor	June 22 1967
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Ministry of Corporate Affairs, ROC- Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	L74899DL1967PLC018031
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	PD-II, Jhilmil Metro Station Jhilmil Industrial Area Delhi East Delhi DL-110095 IN
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	July 28 2023
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	January 28 2024 (Copy of the order received on August 01 2023)
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	**DEEPAK MAINI** **Registration No: IBBI/IPA-001/IP- P00676/2017-2018/11149**
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	C-100, Sector-2, Noida, U.P.-201301 **deepak.maini@insolvencyservices.in**
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	**Pls submit claims to:** Deepak Maini C/O Sanjay Jeswani (CMI), C-100, Sector-2, Noida, U.P- 201301, E: **rp.cmiltd@gmail.com**
11.	Last date for submission of claims	August 15 2023 (14 days from the receipt of copy of NCLT order)
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not Applicable
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorized Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	(a) **https://ibbi.gov.in/home/downloads** (b) Not Applicable

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the CMI Limited on July 28 2023 (Copy of the order was communicated to the undersigned on August 01 2023)

The creditors of **CMI Limited**, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before August 15 2023 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sd/-
Deepak Maini
Interim Resolution Professional
CMI Limited
Registration No: IBBI/IPA-001/IP-P00676/2017-2018/11149
Address: C-100, Sector-2, Noida, U.P.-201301
AFA Validity: December 07, 2023

Date : August 02, 2023

XCHANGING SOLUTIONS LIMITED

(a DXC Technology Company)
CIN: L72200KA2002PLC030072
Registered Office: HP Avenue, 39/40, Electronic City Hosur Main Road, Bengaluru – 560 100, Karnataka, India
Tel: +91 - 80 - 3387 0001
Email : compliance@xchanging.com Website : www.dxc.com

NOTICE OF THE 22ND ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 22nd Annual General Meeting (**"AGM"**) of the Members of Xchanging Solutions Limited (**"XSL"**/ **"the Company"**) will be held on **Friday, August 25, 2023 at 10:00 A.M (IST)** through Video Conferencing (**"VC"**) / Other Audio Visual Means (**"OAVM"**) to transact the businesses, as set out in the Notice of the AGM.

The Notice of the AGM and the Annual Report, including the Standalone and Consolidated Audited Financial Statements, for the Financial Year 2022-23 has been sent only by electronic mode to those members, whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar and Share Transfer Agent (**"RTA"**) / Depositories in accordance with the relevant Circular(s) issued by the Ministry of Corporate Affairs (**"MCA"**) and the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**). Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2022-23 will also be available on the Company's Website at https://www.dxc.com/in/en/about-us/xchanging-solutions-limited-investor-relations, websites of the stock exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and website of KFin Technologies Limited (**"KFin Technologies"**) at https://evoting.kfintech.com. The dispatch of the Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year ended March 31, 2023 has been completed on Tuesday, August 1, 2023.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the **Cut-off date i.e. Friday, August 18, 2023,** may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through the Electronic Voting System (**"Remote e-Voting / e-Voting"**) provided by KFin Technologies. The Members are informed that:

I. The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;

ii. The Remote e-Voting shall commence on Tuesday, August 22, 2023 at 9:00 A.M. (IST) and shall end on Thursday, August 24, 2023 at 5:00 P.M. (IST). Remote E-voting module will be disabled after 5:00 P.M. (IST) on Thursday, August 24, 2023;

iii. The Cut-off date for determining the eligibility to vote by Remote e-Voting or by e-Voting system at the AGM shall be Friday, August 18, 2023;

iv. Any person who acquired shares of the Company and become a member of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as of the Cut-off date i.e. Friday, August 18, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@kfintech.com. However, if the person is already registered with KFin Technologies for e-voting, then the existing user ID and password can be used for casting their vote;

v. Members may note that : (a) The Remote e-Voting module will be disabled by KFin Technologies, beyond 5:00 P.M. (IST) on Thursday, August 24, 2023 and once the votes on resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently; (b) The facility for e-Voting will also be made available during the AGM and those members present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through Remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-Voting at the AGM; (c) The members who have cast their vote by Remote e-Voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; (d) Only persons whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the Cut-off date shall be entitled to avail the facility of Remote e-Voting or e-Voting at the AGM; and (e) Members attending the AGM through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013;

vi. The instructions for joining the AGM and detailed procedure for Remote e-Voting / e-Voting for the members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM;

vii. Members whose email ids are already registered with the Company / RTA / Depository Participant **('DP')**, may follow the instructions for remote e-Voting as well as e-Voting at AGM as provided in the AGM Notice. Members holding the shares in physical and demat form who have not registered their e-mail addresses with the Company/ RTA or with the respective DPs can temporarily get their email IDs registered with the RTA by accessing the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx and follow the temporary registration process as guided thereafter, to receive the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2022-23 through email and/ or receiving instructions for Remote e-Voting and instructions for participation in the AGM through VC/ OAVM; and

viii. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (**'FAQs'**) for the Members and 'Remote e-Voting User Manual' for Members available at downloads section of https://evoting.fintech.com or call on toll free no.: 1800 309 4001. In case of any queries or grievances relating to e-voting, the Members may contact Mr. Anandan K, Manager at KFin Technologies Private Limited, Selenium Building, Tower B, Plot 31& 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi, Telangana – 500032 at email id evoting@kfintech.com or call KFin Technologies's toll free No.: 1800 309 4001.

Pursuant to Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Record date is fixed as Friday, July 28, 2023 for determining the eligibility for the purpose of payment of Interim dividend for the financial year 2023-24 of Rs 15/- per equity share (150%) of face value of Rs 10/- each as recommended by the Board of Directors at its meeting held on July 10, 2023. A communication providing detailed information & instructions with respect to tax on the Interim Dividend for the FY 2022-23 is being sent separately to the Members. The said communication will also be made available on the Company's website. Further, the Shareholders are also requested to refer to the Notice of the AGM for more details on process to be followed from their side, if any, in this regard.

Date: August 1, 2023
Place: Delhi

For Xchanging Solutions Limited
Sd/-
Mayank Jain
Company Secretary
Membership No: A26620

UFO MOVIEZ INDIA LIMITED

UFO CINE MEDIA NETWORK

CIN: L22120MH2004PLC285453
Regd. & Corporate Office: Valuable Techno Park, Plot #53/1, Road #7, MIDC, Marol,Andheri (E), Mumbai – 400093
Tel: +91 22 40305060 Fax: +91 22 40305110
Email – investors@ufomoviez.com Website: www.ufomoviez.com

EXTRACT FROM CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

(Rs. in Lacs)

Particulars	Quarter ended 30-Jun-23 Unaudited	Quarter ended 31-Mar-23 (Audited) Refer Note 1	Quarter ended 30-Jun-22 Unaudited	Year ended 31-Mar-23 (Audited)
Total income from Operations	8,534	8,841	9,055	39,775
Net profit/(loss) before tax	357	(69)	(271)	(1,447)
Net profit/(loss) after tax	252	(118)	(254)	(1,321)
Total Comprehensive Income	251	163	(182)	(877)
Paid up Equity Share Capital				3,818
Other equity				23,048
Earnings per share of Rs. 10/- each				
(a) Basic (Rs.)	0.66	(0.31)	(0.81)	(3.47)
(b) Diluted (Rs.)	0.66	(0.31)	(0.81)	(3.47)

EXTRACT FROM STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

(Rs. in Lacs)

Particulars	Quarter ended 30-Jun-23 (Unaudited)	Quarter ended 31-Mar-23 (Audited) Refer Note 1	Quarter ended 30-Jun-22 (Unaudited)	Year ended 31-Mar-23 (Audited)
Total income from Operations	6,932	6,711	6,857	28,057
Net profit/(loss) before tax	190	698	(779)	(3,712)
Net profit/(loss) after tax	123	531	(584)	(3,009)
Total Comprehensive Income	123	718	(584)	(2,822)

NOTES:

1. The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The above financial results were reviewed by the Audit committee on July 31, 2023 and approved by the Board of Directors at its meeting held on July 31, 2023.
2. Previous year / period figures have been regrouped / reclassified, where necessary, to conform to current period classification.
3. The full format of the Financial Results are available on the Company's website www.ufomoviez.com and on the website of the Stock Exchanges, www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For and on behalf of the Board of Directors
of UFO Moviez India Limited
Sd/-
Rajesh Mishra
Executive Director and Group CEO

Date : July 31, 2023
Place : Mumbai

INDIA FINSEC LIMITED

REGD. OFFICE: D-16, IST FLOOR, ABOVE ICICI BANK, PRASHANT VIHAR, SECTOR-14, ROHINI, NEW DELHI-110085
CIN: L65923DL1994PLC060827 **WEBSITE:** www.indiafinsec.com, **EMAIL:** indiafinsec@gmail.com, **PHONE:** 011-47096097

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2023 (IND-AS COMPLIANT)

(Rs. In lacs)

Sr. no	Particulars	Standalone Quarter Ended 30-Jun-23 Unaudited	Standalone Quarter Ended 31-Mar-23 Audited	Standalone Quarter Ended 30-Jun-22 Unaudited	Standalone Previous Year ended 31-Mar-23 Audited	Consolidated Quarter Ended 30-Jun-23 Unaudited	Consolidated Previous Year ended 31-Mar-23 Audited
1	Total income from operations (net)	1.22	43.91	7.32	68.04	1,493.93	4,642.55
2	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and Extraordinary Items)	(8.15)	(2.29)	7.70	15.20	404.99	640.20
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (After Exceptional and Extraordinary Items)	(8.15)	(2.29)	7.70	15.20	404.99	640.20
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(6.11)	0.82	5.58	12.96	289.97	460.39
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(6.11)	0.82	5.58	12.96	289.97	456.82
6	Paid-Up Equity Share Capital	2,494.17	2,494.17	2,494.17	2,494.17	2,494.17	2,494.17
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet)	1,970.73	1,957.76	1,957.76	1,957.76	3,580.53	3,277.16
8	Earnings Per Share (before & after extraordinary items) (of Rs. 10/- each)						
	Basic:	(0.025)	0.003	0.022	0.052	1.16	1.85
	Diluted:	(0.025)	0.003	0.022	0.052	1.16	1.85

NOTES:

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results is available on the Stock Excjanges websites i.e. (www.bseindia.com) and also available on the Company's Website www.indiafinsec.com.

2 The aforesaid results were placed before and reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 31st July, 2023.

3 The consolidated results include those of the subsidiary Company viz. IFL Housing Finance Limited.

For India Finsec Limited
Sd/-
Gopal Bansal
Chairman & Managing Director

Place: New Delhi
Date: 31.07.2023

KIRLOSKAR BROTHERS LIMITED

A Kirloskar Group Company
Registered Office: Yamuna, S. No. 98 (3 to 7), Plot No. 3, Baner, Pune - 411 045.
CIN No.: L29113PN1920PLC000670

Kirloskar
Enriching Lives

Unaudited Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended 30 June 2023

(Rupees in Million)

Sr. No.	Particulars	Standalone Quarter Ended 30.06.2023 Unaudited	Standalone Quarter Ended 31.03.2023 Refer note 2	Standalone Quarter Ended 30.06.2022 Unaudited	Standalone Year Ended 31.03.2023 Audited	Consolidated Quarter Ended 30.06.2023 Unaudited	Consolidated Quarter Ended 31.03.2023 Refer note 2	Consolidated Quarter Ended 30.06.2022 Unaudited	Consolidated Year Ended 31.03.2023 Audited
1	Total income from Operations	**5,857**	8,094	5,488	25,729	**9,050**	11,377	7,914	37,575
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	**450**	1,072	166	2,212	**899**	1,322	245	3,223
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	**450**	1,072	125	2,073	**949**	1,322	245	3,181
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	**337**	795	80	1,526	**636**	1,007	155	2,358
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	**327**	795	75	1,501	**625**	1,039	181	2,511
6	Equity Share Capital	**159**	159	159	159	**159**	159	159	159
7	Reserves excluding Revaluation Reserves as per audited balance sheet of previous accounting year				12,358				13,881
8	Earnings Per Share (Face Value of Rs. 2/- each) (from continuing operations) (not annualized)								
	(a) Basic	**4.24**	10.01	1.01	19.22	**8.02**	12.62	1.94	29.59
	(b) Diluted	**4.24**	10.01	1.01	19.22	**8.02**	12.62	1.94	29.59

Notes:

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results and Explanatory Notes are available on the Stock Exchange websites at www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the company's website at www.kirloskarpumps.com.

2 The figures for the quarter ended 31 March 2023 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures upto the end of third quarter of the respective financial year, which was subjected to Limited Review.

3 Company has made provision of Rs 139 million during year ended 31 March 2023 (Rs 41 million in quarter ended 30 June 2022) towards impairment of it's investment in the subsidiary company viz. 'The Kolhapur Steel Limited'. This is considered as an exceptional item in the respective periods.

4 Exceptional items for quarter ended 30 June 2023, represent net credit amount of reversal of project related provisions and credit on sales tax related provisions of earlier period in respect of company's subsidiary 'Karad Projects and Motors Limited.'

For **KIRLOSKAR BROTHERS LIMITED**
Sd/-
SANJAY KIRLOSKAR
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR
DIN : 00007885

Date : 01 August, 2023
Place : Pune

• Tel: +91 20 6721 4444
• Email: secretarial@kbl.co.in • Website: www.kirloskarpumps.com

ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND — TARAKKI KAREIN!

Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.
Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051.
Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.icicipruamc.com
Email id: enquiry@icicipruamc.com
Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Multi-Asset Fund and ICICI Prudential Equity-Arbitrage Fund (the Schemes)

Notice is hereby given that ICICI Prudential Trust Limited, Trustee to ICICI Prudential Mutual Fund has approved the following distribution under Income Distribution cum capital withdrawal option (IDCW option) of the Schemes, subject to availability of distributable surplus on the record date i.e. on August 4, 2023*:

Name of the Schemes/Plans	Quantum of IDCW (₹ per unit) (Face value of ₹ 10/- each)$#	NAV as on July 31, 2023 (₹ Per unit)
ICICI Prudential Multi-Asset Fund		
IDCW	0.1600	27.5305
Direct Plan – IDCW	0.1600	43.2046
ICICI Prudential Equity-Arbitrage Fund		
IDCW	0.0500	14.2615
Direct Plan – IDCW	0.0500	15.9872

$ The distribution will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower depending upon the extent of distributable surplus available on the record date under the IDCW option of the Schemes.

\# Subject to deduction of applicable statutory levy, if any

* or the immediately following Business Day, if that day is a Non – Business Day.

The distribution with respect to IDCW will be done to all the unit holders/beneficial owners whose names appear in the register of unit holders/Statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable under the IDCW option of the Schemes, at the close of business hours on the record date.

It should be noted that pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW option of the Schemes would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Sd/-
Authorised Signatory

Place: Mumbai
Date : August 1, 2023
No. 002/08/2023

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.icicipruamc.com

Investors are requested to periodically review and update their KYC details along with their mobile number and email id.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.icicipruamc.com or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

जांच के लिए मुंबई पहुंची समिति सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी

ट्रेन में गोलीबारी का मामला

मुंबई, 1 अगस्त (भाषा)।

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के एक कांस्टेबल द्वारा ट्रेन में चार लोगों की कथित रूप से गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना की जांच के लिए गठित एक उच्चस्तरीय समिति के सदस्य यहां पहुंच गए हैं और उनके मंगलवार को संबंधित अधिकारियों से मुलाकात करने की संभावना है।

उधर, मुंबई की एक अदालत ने आरोपी (आरपीएफ) के कांस्टेबल चेतन सिंह को सात अगस्त तक राजकीय रेलवे पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के एक अधिकारी ने बताया कि जीआरपी ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालेगी। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने जयपुर–मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में सोमवार को हुई घटना की व्यापक स्तर पर जांच करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। अधिकारियों ने बताया कि कांस्टेबल चेतन सिंह (34) ने पालघर रेलवे स्टेशन के पास अपने स्वचालित हथियार से आरपीएफ के सहायक उपनिरीक्षक टीकाराम मीणा और तीन अन्य यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी।

सेना के ब्रिगेडियर और उससे ऊपरी दर्जे के सभी अधिकारी समान वर्दी पहनेंगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अगस्त।

भारतीय सेना के ब्रिगेडियर और उससे ऊपरी दर्जे के सभी अधिकारी अब एक समान वर्दी पहनेंगे। फिर चाहे उनका 'कैडर' और शुरुआती तैनाती कहीं भी हुई हो। सेना में समान पहचान, समान चरित्र और दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए यह बदलाव किया गया है।

भारतीय सेना ने इस बदलाव को करने से पहले 'आर्मी कमांडर कांफ्रेंस' में काफी चर्चा की और इसके बाद ही यह बदलाव लागू किया गया है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि सैन्य अधिकारियों की टोपी, 'बैज', 'जार्जेट पैचेज', बेल्ट और जूते ब्रिगेडियर और अन्य अधिकारियों के एक जैसे होंगे।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)
सीआईएन : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड,चेटपेत,चेन्नई–600031.
दूरभाष : +91 44 4564 4000 । फैक्स : +91 44 4564 4022.
IDFC FIRST Bank

परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]
कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के तहत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदार, सह–कर्जदारों तथा जमानतियों 1. आनन्द इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोपराइटर राकेश लूथरा, 2. आदित्य लूथरा, 3. राकेश लूथरा, 4. संगीता लूथरा से 21.03.2023 तक सूचना में लिखित राशि रु. 1,55,10,877.26/– (रुपये एक करोड़ पचपन लाख दस हजार आठ सौ सतहत्तर एवं छब्बीस पैसे मात्र) का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए 29.03.2023 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।
कर्जदारों के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में 29 जुलाई, 2023 को सम्पत्ति पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से कर्जदारों तथा जनसामान्य एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई लेन–देन रु. 1,55,10,877.26/– (रुपये एक करोड़ पचपन लाख दस हजार आठ सौ सतहत्तर एवं छब्बीस पैसे मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) के प्रभार का विषय होगा।
प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण
संपत्ति नंबर सी–7/12 का सम्पूर्ण भाग, तीसरी मंजिल पर, छत के अधिकार के साथ दक्षिणी भाग, प्लॉट का माप क्षेत्र 191.47 वर्ग मीटर, (229 वर्ग गज), प्लिंथ कवर्ड क्षेत्रफल 142.19 वर्ग मीटर, कृष्णा नगर की आबादी में, ग्राम घोंडली के क्षेत्र में, इलाका शाहदरा, दिल्ली–110051, और, सीमाएं इस प्रकार हैं:
पूर्व: अन्य संपत्ति संख्या सी8/12, **पश्चिम:** सड़क, **उत्तर:** अन्य संपत्ति, **दक्षिण:** संपत्ति संख्या सी–7/13

दिनांक : 29 जुलाई, 2023 — अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : घोंडली — आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
ऋण खाता सं. : 19109278 तथा 32980175 (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट बैंक लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से)
सीआईएन : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेत, चेन्नई–600031.
दूरभाष : +91 44 4564 4000 । फैक्स : +91 44 4564 4022.
IDFC FIRST Bank

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना
निम्नलिखित कर्जदारों ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से) से निम्नलिखित प्रतिभूत ऋण ग्रहण किया। निम्नलिखित कर्जदारों तथा सह–कर्जदारों के ऋण उनकी सम्बन्धित सम्पत्तियों के बंधक द्वारा प्रतिभूत हुए हैं। चूंकि वे सम्बन्धित ऋण अनुबंधों के नियम एवं शर्तों का पालन करने में असफल रहे और अनियमित हो गये थे अतः भा.रि.बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार उनके ऋण एनपीए वर्गीकृत कर दिये गये। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से) द्वारा उनकी ओर बकाया राशि जारी की गयी सम्बन्धित सूचनाओं के अनुसार वर्णित हैं जो निम्नलिखित तालिका में अधिक स्पष्ट रूप से वर्णित हैं तथा कथित राशियों पर भावी ब्याज भी प्रयोज्य होगा और इसे उनकी सम्बन्धित तिथियों से अनुबन्ध दर के अनुसार प्रभारित किया जायेगा।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार	कर्जदारों/सह–कर्जदारों/जमानतियों के नाम	धारा 13(2) सूचना तिथि	धारा 13(2) के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	46714732 तथा 48096084	गृह ऋण	1. यशपाल सिंघवी	22.07.2023	1,06,28,401.93/–	आवास इकाई/फ्लैट नं. 801 का समस्त भाग, टावर नं. बी–6, कॉम्प्लेक्स 'क्लियो काउंटी' में आठवीं मंजिल पर, प्लॉट नंबर जीएच–05 पर निर्मित, सेक्टर–121, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर–201301 (उ.प्र.), सुपर एरिया 1827 वर्ग फीट (यानी 169.73 वर्ग मीटर लगभग) और कवर्ड/निर्मित एरिया 1539 वर्ग फीट (यानी 142.98 वर्ग मीटर लगभग) और कारपेट एरिया 1182 वर्ग फीट (अर्थात 109.81 वर्ग मीटर) जिसमें 3 बीएचके + 3 शौचालय + 3 बालकनी शामिल है।

एतद्वारा आपसे सम्बन्धित तिथि से से अनुबन्ध दर पर ब्याज सहित तथा अन्य लागतों, प्रभारों आदि का उपर्युक्त तालिका में प्रदर्शित विवरण के अनुसार इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से)** को राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसमें असफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) तथा धारा 14 के तहत **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से)** के बकाया राशि की वसूली के लिए यहां ऊपर उल्लिखित बंधक सम्पत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए बाध्य होगा। पुनः कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत आपको विक्रय/पट्टे अथवा अन्य रीति से कथित किसी भी प्रतिभूत आस्ति को हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है।

ह./–
अधिकृत प्राधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
तिथि : 02.08.2023 (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड
स्थान : गौतम बुद्ध नगर के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से)

ई–नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट-IV A) (नियम 8(6))
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरान्त ''अधिनियम'') के अंतर्गत, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) (आईआईएफएल–एचएफएल),कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नंबर 98, उद्योग विहार, चरण–IV,गुड़गांव–122015 (हरियाणा) और शाखा कार्यालयःकार्यालय संख्या–1,पहली मंजिल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, प्लॉट नंबर सी–1, सेक्टर–4, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश –201010 /प्लॉट नंबर 30/30 ई, ऊपरी भूतल, मुख्य शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शोरूम के पास, मोती नगर, नई दिल्ली के पास बंधककृत अचल सम्पत्ति का विक्रय। जबकि आईआईएफएल–एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी (''एओ'') ने, आईआईएफएल–एचएफएल की देयराशियों की वसूली हेतु, निम्नलिखित सम्पत्ति/यों का ''जैसी हैं जहां हैं आधार एवं जैसी हैं जो हैं आधार'' पर विक्रय करने के एकाधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खातों/प्रोस्पेक्ट नंबरों के तहत अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना के अनुपालन में उनका आधिपत्य ग्रहण कर लिया था।विक्रय, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइटः www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई–नीलामी मंच के माध्यम से किया जाएगा

ऋणकर्ता(ओं)/सह–ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों)	मांग सूचना तिथि एवं राशि	अचल संपत्ति/प्रतिभूति परिसंपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य
1.श्री नितिन पवार 2. श्रीमती तमन्ना (प्रॉस्पेक्ट नंबर IL10131711)	06–मई–2022 और रु.20,79,787/– (रुपए बीस लाख उन्यासी हजार सात सौ सत्तासी मात्र) बोली वृद्धि राशि रु.25,000/– (पच्चीस हजार रूपये मात्र)	संपत्ति एच.नं. एसके–I/238ए, माप 28.90 वर्ग मीटर,पहली मंजिल, एलआईजी–2, शक्ति खंड–1,इंदिरापुरम,गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत, 201014 में स्थित सम्पत्ति के सभी भाग और अंश।	21–फरवरी–2023; दिनांक 03–जुलाई–2023 तक कुल बकाया रु.22,71,732/– (रुपए बाईस लाख इकहत्तर हजार सात सौ बत्तीस मात्र)	आरक्षित मूल्य रु.12,20,000/– (बारह लाख बीस हजार रुपये मात्र); बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 1,22,000/– (एक लाख बाईस हजार रुपये मात्र)
1. श्री मनीष कुमार 2. श्रीमती शालू वर्मा (प्रॉस्पेक्ट नंबर IL10015562)	27–सितंबर–2022 और रु.30,74,623/– (तीस लाख चौहत्तर हजार छह सौ तेईस रुपये मात्र); बोली वृद्धि राशि रु.25,000/– (पच्चीस हजार रूपये मात्र)	संपत्ति सं.एफ–18ए (भाग), कालीन क्षेत्र की माप 356 वर्ग फुट , भूतल , राधे पुरी, शाहदरा, नई दिल्ली, भारत, 110051 में स्थित संपत्ति के सभी भाग और अंश, (410 वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र)	17–मार्च–2023; दिनांक 03–जुलाई–2023 तक कुल बकाया रु. 37,48,801/– (सैंतीस लाख अड़तालीस हजार आठ सौ एक रूपये मात्र)	रु.16,00,000/– (सोलह लाख रूपये मात्र); बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 1,60,000/– (एक लाख साठ हजार रूपये मात्र)

संपत्ति के निरीक्षण की तिथि	ईएमडी अंतिम तिथि	ई–नीलामी की तिथि/समय
16–अगस्त–2023 को 1100 बजे–1400 बजे	18–अगस्त 2023 को शाम 5 बजे तक।	21–अगस्त –2023 को 1100 बजे से 1300 बजे

भुगतान का माध्यमः ईएमडी का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड से किया जाना है। भुगतान करने के लिए आपको https://www.bankeauctions.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/प्रतिभूति परिसंपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा।
नोटः प्रत्येक संपत्ति/प्रतिभूति परिसंपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग–अलग है। सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/प्रतिभूति परिसंपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी से खरीदना चाहते हैं।
शेष भुगतान के लिए, सफल बोली पर, आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना होगा। खातों के विवरण इस प्रकार हैं: क) खाता का नामः–आईआईएफएल होम फाइनेंस लि., ख) बैंक का नाम –स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लि., ग) खाता सं.:9902879xxxxx के बाद प्रॉस्पेक्ट नंबर, घ) आईएफएससी कोडः SCBL0036001, ङ) बैंक का पताः स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, 90 एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई–400001

नियम एवं शर्तें:–
1. ई–नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि वे अपने विवरणों को पर्याप्त समय पूर्व सेवा प्रदाता https://www.bankeauctions.com के साथ पंजीकृत कर लें और उन्हें इस हेतु लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी व पासवर्ड सृजित करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपने ''निविदा प्रपत्र'', धराज के भुगतान विवरणों, केवाईसी एवं पैन कार्ड की प्रतियों के साथ ऊपर वर्णित शाखा कार्यालय में प्रस्तुत/प्रेषित करने होंगे।
2. बोलीदाताओं को अपने प्रस्ताव को, स्तंभ ''बोली वृद्धि राशि'' के अंतर्गत वर्णित राशि के गुणक में बढ़ाना होगा। यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनटों में बोलीदान किया जाता है तो समापन समय 5 मिनटों के लिए स्वतः ही बढ़ जाएगा।
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि (धराज का समायोजन करने के उपरान्त) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी तथा बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत रकम प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय की अभिपुष्टि किए जाने की तिथि से 15 दिवसों के अंदर जमा करनी होगी। समस्त जमाएं तथा भुगतान जो हैं, वो भुगतान के निर्धारित प्रारूप के तहत किए जाएंगे।
4. क्रेता को सम्पत्ति से संबंधित समस्त करों एवं दरों लागतों सहित उपकर, लागू स्टांप शुल्क, शुल्कों एवं किसी अन्य संवैधानिक देयराशि अथवा अन्य देयताओं जैसे नगर निगम कर, विद्युत प्रभारों, भूमि एवं समस्त अन्य आकस्मिक लागतों, प्रभारों का भुगतान वहन करना होगा।
[illegible]

स्थानः दिल्ली/गाजियाबाद दिनांकः 02– अगस्त–2023 हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना
[illegible]
स्थानः दिल्ली, दिनांकः 02– अगस्त–2023 हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

प्रपत्र जी
शुभकामना बिल्डवेल इंड इस्टेट्स प्रा. लि.
जो नई दिल्ली तथा ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में रीअल इस्टेट के कार्यों में प्रचालन कर रही है,
के लिये अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिये आमंत्रण
भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए(1) के अंतर्गत

संबंधित विवरण

1.	पैन/सिन/एलएलपी नं. के साथ कॉर्पोरेट डेब्टर का नाम	शुभकामना बिल्डवेल एंड इस्टेट्स प्रा. लि. CIN: U45200DL2010PTC210885
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	फ्लैट नं. 37–बी, जी एफ, पॉकेट–IV, मयूर विहार फेज–I, दिल्ली ईस्ट, दिल्ली–110091
3.	वेबसाईट का यूआरएल	https://www.resurgentrp.com/cirp-detail.php?id=12
4.	उस स्थान का विवरण जहां अधिसंख्य निर्धारित परिसम्पत्तियां अवस्थित है	शुभकामना एपिक, प्लॉट नं. जीएच–02/ए, सेक्टर–12, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
5.	मैन उत्पादों/सेवाओं की संस्थापित क्षमता	लागू नहीं
6.	पिछले वित्त वर्ष में बिक्री की गई मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा एवं मूल्य	निल
7.	कर्मचारियों/कर्मियों की संख्या	निल
8.	पिछले दो वर्षों के उपलब्ध वित्तीय विवरणों (अनुसूची के साथ), क्रेडीटरों की सूची, प्रक्रिया के परवर्ती कार्यक्रमों के संबंधित तिथियों सहित विस्तृत विवरण उपलब्ध हैः	विवरणों cirp.shubhkamnabuildwell@gmail.com पर ईमेल द्वारा अनुरोध भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
9.	संहिता की धारा 25(2)(h) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध हैः	https://www.resurgentrp.com/cirp-detail-php?d=12 अथवा विवरणों cirp.shubhkamnabuildwell@gmail.com पर ईमेल द्वारा अनुरोध भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	पूर्व तिथिः 27.07.2023 विस्तारित तिथि 20.08.2023
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी करने की तिथि	30.08.2023
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि	04.09.2023
13.	ईओआई जमा करने के लिये प्रॉसेस ईमेल आईडी	cirp.shubhkamnabuildwell@gmail.com

शैलेन्द्र सिंह
प्रस्ताव कर्मी
शुभकामना बिल्डवेल एंड इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड के सीआईआरपी में
आईपी पंजीकारण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00471-2017-2018/11372
वर्तमान कार्यालयः जे–16, 2 रा तल, जंगपुरा एक्स्टेंशन, दिल्ली–110014
पंजीकृत पताः 1201ए–1201 सी, 12वां तल, अशोका इस्टेट, 24, बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001
ईमेल आईडीः cirp.shubhkamnabuildwell@gmail.com, shailendralaw@gmail.com
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 01.08.2023

जालंधर मोटर एजेंसी (दिल्ली) लिमिटेड
CIN: L35999HR1998PLC033943
पंजी. कार्यालयः 458–1/16, सोहना रोड, न्यू कोर्ट के सामने, गुरुग्राम–122001, हरियाणा, भारत
ई–मेलः info@jmaindia.com; वेबसाइटः www.jmaindia.com;
फोन न0. 0124-3019210, 4233867-70

74वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और ई–वोटिंग की जानकारी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए जालंधर मोटर एजेंसी (दिल्ली) लिमिटेड के सदस्यों की चौहत्तरवीं (74वीं) वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') मंगलवार, 29 अगस्त, 2023 को प्रातः 11:00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिस प्रयोजन के लिए 458–1/16, सोहना रोड, न्यू कोर्ट के सामने, गुरुग्राम–122001, हरियाणा, भारत में स्थित पंजीकृत कार्यालय बैठक के लिए स्थल माना जाएगा और वहां पर एजीएम की कार्यवाही की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से की जाएगी।

74वीं वार्षिक रिपोर्ट जिसमें एजीएम की सूचना, वित्तीय विवरण (एकल एवं समेकित), लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर बोर्ड की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजो के साथ शामिल ई–वोटिंग तथा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के दिशानिर्देश उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दिये गये हैं जिनकी ई–मेल आईडी 28 जुलाई, 2023 को कंपनी/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त वर्णित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.jmaindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com/noticeResults.jsp पर भी उपलब्ध हैं और डाउनलोड किये जा सकते हैं।

एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट तथा लाभांश इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त करने के लिए ई–मेल पता एवं बैंक खाता विवरण पंजीकृत/अपडेट कराने की प्रक्रियाः

भौतिक प्रारूप में शेयर	भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड ('सेबी') ने अपने परिपत्र दिनांक 3 नवम्बर, 2021, 14 दिसम्बर, 2021 के साथ पठित परिपत्र दिनांक 16 मार्च, 2023 के माध्यम से भौतिक प्रारूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के पास अपना पैन, केवाईसी एवं नामांकन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य किया है। भौतिक प्रारूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकगण कृपया नोट करें कि यदि वे उपरोक्त कथित सेबी परिपत्र के अनुसार अपेक्षित दस्तावेज एवं विवरण प्रदान करने में असफल रहते हैं तो ऐसे शेयरधारकों के सभी फोलियो आरटीए द्वारा 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद जब्त कर लिये जाएगें। उपरोक्त को देखते हुए भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने कंपनी के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अपडेट नही किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के आरटीए अर्थात् एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, टी–34, दूसरा तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–2, नई दिल्ली–110020 के पास निम्नलिखित दस्तावेजों/विवरणों को जमा करके अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अपडेट कराएं: 1. फॉर्म आईएसआर–1 का उपयोग करके ई–मेल, मोबाइल नं. एवं पैन; 2. फॉर्म नं. एसएच–13 में नामांकन और फॉर्म आईएसआर–3 में ''ऑप्ट आउट'' की घोषणा; 3. सम्पर्क विवरण डाक पता, पिन कोड (पते में परिवर्तन के मामले में), मोबाइल नम्बर, ई–मेल पते सहित; 4. बैंक खाता विवरण बैंक का नाम एवं शाखा, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड एवं आईएफएस कोड सहित (फॉर्म आईएसआर–1 का उपयोग करके); 5. नमूना हस्ताक्षर (फॉर्म आईएसआर–2 का उपयोग करके); 6. नामांकन में कोई भी निरस्तीकरण या परिवर्तन फॉर्म नं. एसएच–14 में देना होगा। शेयरधारक उपरोक्त वर्णित फॉर्मो को कंपनी वेबसाइट के निवेशक शीर्षक पर उपलब्ध ''डाउनलोड सैक्शन'' से डाउनलोड कर सकते हैं और यह आरटीए की वेबसाइट https://www.masserv.com/downloads.asp पर भी उपलब्ध है।
डिमेट प्रारूप में शेयर	डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक से अनुरोध हैं कि वे संगत डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना पैन, नामांकन विवरण, सम्पर्क विवरण (पिन, मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल पते के साथ पता), बैंक खाता विवरण एवं नमूना हस्ताक्षर पंजीकृत/अपडेट कराएं।

बुक क्लोजर एवं कट–ऑफ तिथिः एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेबी सूचीयन विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए रूपये 02/– (अर्थात् 100 प्रतिशत) प्रति रूपये 02/– पूर्णतः प्रदत्त के इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश, यदि घोषित हो जाता हैं, के लिए सदस्यों की योग्यता के निर्धारण के प्रयोजन हेतु मंगलवार, 22 अगस्त, 2023 कट–ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित की है। इसके साथ 74वीं वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों का रिकार्ड लेने हेतु कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक बुधवार, 23 अगस्त, 2023 से मंगलवार, 29 अगस्त, 2023 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

ई–वोटिंगः एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित सेबी सूचीयन विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में कंपनी एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी व्यवसायों/प्रस्तावों के निष्पादन हेतु कट–ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 22 अगस्त, 2023 को भौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले अपने सदस्यों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही हैः
(ए) **रिमोट ई–वोटिंगः** रिमोट ई–वोटिंग अवधि गुरूवार, 24 अगस्त, 2023 (प्रातः 9:00 बजे) से प्रारंभ होगी और सोमवार, 28 अगस्त, 2023 (सायं 5:00 बजे) को समाप्त होगी। कथित तिथि एवं समय के बाद ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा।
(बी) **एजीएम में ई–वोटिंगः** उन सदस्यों के लिए एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने की सुविधा उपलब्ध होगी जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है और जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ई–वोटिंग प्रक्रिया के लिए मैसर्स विजय के. सिंघल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव (श्री विजय के. सिंघल, मालिक) को समीक्षक नियुक्त किया गया है। रिमोट ई–वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना के साथ भेजे गए ईमेल में निहित है और कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.jmaindia.com पर भी उपलब्ध है। कोई भी सदस्य जो बैठक की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 22 अगस्त, 2023 को शेयर धारण करता है, वे एजीएम की सूचना में दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपना लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड जेनरेट कर सकता है।
ई–वोटिंग के संबंध में किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण www.evotingindia.com पर हेल्प सैक्शन पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (''एफएक्यू'') और ई–वोटिंग मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800225533 पर कॉल कर सकते हैं, ई–मेलः helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल भेज सकते हैं। विकल्पतः वे श्री दीपांशु रस्तोगी, सहायक प्रबंधक, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, आरटीए से investor@masserv.com पर या टेलीफोन नं. 011-26387281/82/83 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते और बोर्ड की ओर से
जालंधर मोटर एजेंसी (दिल्ली) लिमिटेड
हस्ता/–
रामकेश पाल
कंपनी सचिव
स्थानः गुरुग्राम
दिनांकः 01 अगस्त, 2023 (एम. नं0. ए40120)

DBS Live more, Bank less
निगमित कार्यालय : 19वां तल, एक्सप्रेस टॉवर, नरीमन प्वाइंट, मुंबई–400021, दूरभाष : 022–66388888, फैक्स : 22–66388899
पंजीकृत कार्यालय : जी.एफ. नं. 11 एवं 12 एवं एफएफ : नं. 110 से 115, कैपिटल प्वाइंट, बीकेएस मार्ग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 011–66538888, फैक्स : 011–66538899

अधिग्रहण सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार]

जबकि,
अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड (पूर्ववर्ती एलवीबी)** भीलवाड़ा शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 की उप–धारा (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक **मांग सूचना दिनांकित 04–08–2021** निर्गत की थी, जिसमें **ऋणकर्ता मैसर्स मनीष टेक्स ट्रेड, सी 444, आजाद नगर, भीलवाड़ा–311001 तथा गारंटर श्रीमती आशा नैथानी को 03–08–2021 के अनुसार, रु. 56,50,679.76 (रुपये छप्पन लाख पचास हजार छह सौ उन्यासी एवं छिहत्तर पैसे मात्र)** और इस राशि पर 01–08–2021 से प्रभावी ब्याज का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। सूचना पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की गयी थी।
ऋणकर्ता/गारंटरगण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता/गारंटरगणों को और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, **31 जुलाई 2023 को, भौतिक अधिग्रहण** कर लिया है।
ऋणकर्ता/गारंटरों को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्यतय सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, **03–08–2021** के अनुसार, **रु. 56,50,679.76 (रुपये छप्पन लाख पचास हजार छह सौ उन्यासी एवं छिहत्तर पैसे मात्र)** और इस राशि पर 01–08–2021 से प्रभावी ब्याज एवं बैंक द्वारा व्ययकृत आकस्मिक व्ययों हेतु डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड (पूर्ववर्ती एलवीबी) के प्रभाराधीन होगा।
ऋणकर्ता/गारंटर का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण
भूमिकृत संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश निम्नानुसार संस्थापित होते हैं :– आवासीय मकान का ईएम जो कि भूखंड सं. सी–444 (20'45) आजाद नगर, भीलवाड़ा में स्थित है और श्रीमती आशा नैथानी एवं श्री मधुसूदन नैथानी से संबंधित और निम्नानुसार परिसीमित है :–
उत्तर– भूखंड सं. सी 445 **पूर्व–** सड़क
दक्षिण– भूखंड सं. सी 443 **पश्चिम–** मकान नं. सी 473
दिनांक : 31–जुलाई–2023 (प्राधिकृत अधिकारी)
स्थान : भीलवाड़ा, राजस्थान डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली – 110057
फोनः 011 49267000, टोल फ्री नंबरः 1800 212 8800, ईमेलः customer.care@herohfl.com
वेबसाइटः www.herohousingfinance.com, सीआईएनः U65192DL2016PLC30148
संपर्क पताः– भवन सं.27, दूसरी मंजिल, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057

कब्जा–सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमन, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)
जबकि अधोहस्ताक्षरी हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिन के भीतर चुकाने के लिए नीचे उल्लिखित एक मांग नोटिस जारी किया।
उधारकर्ता उक्त राशि चुकाने में विफल रहने पर, एतद्वारा विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यहाँ विवरणित निम्नलिखित, सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप में जनता को उक्त संपत्ति के साथ सौदा न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन नीचे दी गई राशि के साथ नीचे उल्लिखित तारीख से दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।
प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ऋण खाता संख्याः	बाध्यताधारी (ओं)/कानूनी उत्तराधिकारी(ओं) /कानूनी प्रतिनिधि(ओं) का नाम	मांग सूचना की तिथि / मांग सूचना के अनुसार राशि	कब्जा– तिथि (रचनात्मक / भौतिक)
HHFDELHOU 19000000921	अजय कुमार, अजय कुमार की पत्नी सुनीता	16/02/2023, दिनांक 15/02/2023 तक रु. 20,31,782/–	29/07/2023 (भौतिक) कब्जा

प्रतिभूति परिसम्पत्तियों ध्अचल संपत्तियो का विवरणः ग्राम– बिंदापुर, कॉलोनी जानकी पुरी, ब्लॉक बी, उत्तम नगर, नई दिल्ली में स्थित फ्रीहोल्ड बिल्ड अप संपत्ति नंबर आरजेड–बी–30 के छत के अधिकार के बिना, बायीं ओर की दूसरी मंजिल के सभी टुकड़े और अंश, गली नंबर 2, और 581, खसरा नं. 577, 578 एवं 581 में से , विक्रय पत्र में उल्लिखित अन्य सुविधाओं के साथ उक्त भूखंड के तहत भूमि के अविभाजित फ्रीहोल्ड अधिकार और बिक्री विलेख में उल्लिखित अन्य सुविधाए शामिल है जिसका , क्षेत्रफल 63.5 वर्ग गज (लगभग) है। बिल्डिंग निम्न रूप में घिरा– पूर्व – प्लॉट नं. 29टी; उत्तर–20 फीट सड़क; पश्चिम – दायीं ओर की इकाई फिर प्लॉट नं. 31; दक्षिण–10 फुट का मार्ग;

ऋण खाता संख्याः	बाध्यताधारी (ओं)/कानूनी उत्तराधिकारी(ओं) /कानूनी प्रतिनिधि(ओं) का नाम	मांग सूचना की तिथि / मांग सूचना के अनुसार राशि	कब्जा– तिथि (रचनात्मक / भौतिक)
HHFNSPHOU 20000008722	स्वर्गीय श्री पुरूषोत्तम के कानूनी उत्तराधिकारी, विमला देवी भट्ट, अंजलि भट्ट	17/05/2023, दिनांक 17/05/2023 तक रु. 11,82,879/–	28/07/2023 (प्रतीकात्मक)

प्रतिभूति परिसम्पत्तियों ध्अचल संपत्तियो का विवरणः शीर्षक दस्तावेज़ में लिखी सामान्य सुविधाओं के साथ ग्राम सागरपुर के क्षेत्र में, कॉलोनी जिसे वेस्ट सागरपुर, नई दिल्ली–110046 के नाम से जाना जाता है, गली नंबर 5 (मुख्य), खसरा नंबर 107/104 से बाहर छत के अधिकार के बिना, संपत्ति क्रमांक आरजेड–821 पर क्षेत्रफल 43.5 वर्ग गज, प्लॉट नंबर 7एल/15ए पर निर्मित सम्पूर्ण दूसरी मंजिल के सभी टुकड़े और अंश। सीमाबद्धः उत्तर–अन्य संपत्ति, पूर्व–अन्य संपत्ति, पश्चिम–अन्य संपत्ति, दक्षिण–सड़क

दिनांकः 08–08–2023, हस्ता / –अधिकृत अधिकारी,
स्थानः– दिल्ली/एनसीआर कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

फॉर्म–ए
सार्वजनिक सूचना
(इंसॉलवेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए इंसॉलवेंसी प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 की विनियम 6 के अधीन)
सीएमआई लिमिटेड के लेनदारों के ध्यान हेतु

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	सीएमआई लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणी के समावेश की तिथि	22 जून, 1967
3.	प्राधिकारी जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट व्यक्ति समावेश/पंजीकृत है	कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, आरओसी- दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान नंबर/ कॉर्पोरेट ऋणी का सीमित देयता पहचान नंबर	L74899DL1967PLC018031
5.	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	पीडी–2, झिलमिल मेट्रो स्टेशन झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली पूर्वी दिल्ली दिल्ली–110095 भारत
6.	कॉर्पोरेट ऋणी के परिशोधन की शुरुआती तिथि	28 जुलाई, 2023
7.	दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	28 जनवरी 2024 (आदेश की प्रति 01 अगस्त 2023 को प्राप्त)
8.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर के रूप में के कार्यरत दिवालियापन पेशेवर का नाम व पंजीकरण नंबर	दीपक मैनी रजिस्ट्रेशन नं. IBBI/IPA-001/IP-P00676/2017-2018/11149
9.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर का पता व इ-मेल जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है।	सी–100, सेक्टर–2, नोएडा, यू.पी.–201301 deepak.maini@insolvencyservices.in
10.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर से पत्राचार के लिए प्रयोग की जाने वाली इमेल तथा पता	कृपया यहां दावा प्रस्तुत करें: दीपक मैनी सी/ओ संजय जेसवानी (सीएमआई), सी–100, सेक्टर–2, नोएडा, यूपी–201301, ई–मेलः rp.cmiltd@gmail.com
11.	दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	15 अगस्त 2023 (एनसीएलटी आदेश की प्रति प्राप्त होने से 14 दिन)
12.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर द्वारा निर्धारित धारा 21 की उप–धारा (6ए) के खण्ड (बी) के अधीन ऋणी की श्रेणी, यदि कोई है	लागू नहीं
13.	श्रेणी में ऋणी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में चिह्नित दिवालियापन पेशेवर के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित फार्म और (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण पर उपलब्ध हैः	(ए) https://ibbi.gov.in/home/downloads (बी) लागू नहीं

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दिनांक 28 जुलाई 2023 (आदेश की प्रति अधोहस्ताक्षरी को 01 अगस्त 2023 को सूचित की गई) को सीएमआई लिमिटेड की कारपोरेट दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिया है।
सीएमआई लिमिटेड के ऋणी को प्रविष्टि नंबर 10 के अंतर्गत वर्णित पतों पर अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर को 15 अगस्त, 2023 या उस से पूर्व अपने दावों को प्रमाण सहित प्रस्तुत करने के लिए एतद्वारा आमंत्रित किया जाता है।
वित्तीय ऋणधारकों को केवल इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा अपने दावों का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी ऋणधारकों को अपने दावे व्यक्ति, डाक द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।
गलत या भ्रामक प्रमाणों को प्रस्तुत करना जुर्माने का हकदार होगा।

ह./– दीपक मैनी
अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर, सीएमआई लिमिटेड
रजि. नं. IBBI/IPA-001/IP-P00676/2017-2018/11149
दिनांकः 02 अगस्त, 2023 पताः सी–100, सेक्टर–2, नोएडा, यू.पी.–201301
एएफए वैधताः 07 दिसंबर, 2023

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court Of Ms. Shweta Dass JMIC Ludhiana
CNR NO: PBLD03-004737-2020
PESHI: 10-08-2023
publication notice for proclamation under section 82 CR.PC Complaint R/w sec- 138 of N.I act
Kotak Mahindra Bank Vs. Manjulaben Manubhai Agrawal
Notice To: Manjullaben Manubhai Agrawal R/o Plot No 53 Ward 7 C, Opp. Saraswati Vidhya Mandir, Gandhidham - 370201 (Gujarat)
Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC Is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 10-08-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. given under my hand and the seal of the court. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana
JMIC Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court Of Ms. Shweta Dass JMIC Ludhiana
Peshi: 02-09-2023
CNR NO: PBLD03-004732-2020
publication notice for proclamation under section 82 CR.PC Complaint R/w sec- 138 of N.I act
Kotak Mahindra Bank Vs M/s Thakur Enterprises
Notice To: M/s Thakur Enterprises Its Prop Mohammed Anwar Usman Thakur, Ground Floor, Shop No 14, Oasis Arcade, Mumbai Pune Road, Thane Maharashtra 2. Mohd Anwar Usman Thaur, Prop Of M/s Thakur Enterprises Flat No 02, Yamani Apt. Ghoshala Complex, Kausa Mumbara, Thane 400612 (Maharashtra)
Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC Is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 02-09-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. given under my hand and the seal of the court.
for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana
JMIC Ludhiana

एएमएस पॉलिमर लिमिटेड
(पूर्व में, साई मोह ऑटो लिंक्स लिमिटेड)
सीआईएनः L34300DL1985PLC020510
पंजी. कार्यालय : सी-582, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
ईमेल आईडीः polymersams@gmail.com
वेबसाइटः www.amspolymers.com
टेली.: 91-11-27032702 | फैक्सः 91-11-27032702
बोर्ड बैठक की सूचना
सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निदेशक मंडल की बैठक **बुधवार, 09 अगस्त, 2023** को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी, जिसमे अन्य बातों के साथ-साथ, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन किया जायेगा।
उक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट www.amspolymers.com और बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।
बोर्ड के आदेश से
कृते एएमएस पॉलिमर लिमिटेड
हस्ता/-
स्थानः दिल्ली चिरंजीवी रामुका
दिनांकः 01.08.2023 कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः A65678

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court Of Ms. Shweta Dass JMIC Ludhiana
CNR NO: PBLD03-004753-2020
PESHI: 10-08-2023
publication notice for proclamation under section 82 CR.PC Complaint R/w sec- 138 of N.I act
Kotak Mahindra Bank Vs. Ramsagar Laxmishankar Tiwari Ramsaga
Notice To: Ramsagar Laxmishankar Tiwari Ramsagar R/o 6279, Gaval Devi, Ladinaka Buwapada Ambernath Neta Ji Baza Thane- 421505
Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC Is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 10-08-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. given under my hand and the seal of the court. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana
JMIC Ludhiana

अर्थ जागरण

सेंसेक्स	सराफा (दिल्ली के भाव)	सोना ₹ (10 ग्राम)	चांदी ₹ (1 किलो)	डालर ($) ₹
66,459.31 ↘68.36		60,430 ↗₹ 80	77,100 ↗₹ 400	82.22 ↘₹0.07

एक नजर में

फ्रेंकलिन टेंपलटन ने 27 हजार करोड़ रुपये लौटाए

नई दिल्ली: फ्रेंकलिन टेंपलटन म्यूचुअल फंड ने मंगलवार को कहा कि उसने बंद की गई छह योजनाओं के यूनिटधारकों को अब तक 27 हजार करोड़ रुपये लौटा दिए हैं। यह राशि 23 अप्रैल 2020 को आंके गए असेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 25,215 करोड़ रुपये का करीब 107.51 प्रतिशत है। फ्रैंकलिन ने बांड बाजार में तरलता की कमी के चलते इसी दिन इन छह योजनाओं को बंद करने की घोषणा की थी। (प्रेट्र)

अकासा एयर के बेड़े में 20 और विमान शामिल हुए

नई दिल्ली: अकासा एयर ने मंगलवार को बताया कि कंपनी के बेड़े में 20 और विमान शामिल हो गए हैं और अब कंपनी अंतरराष्ट्रीय संचालन के योग्य हो गई है। सात अगस्त को एक वर्ष पूरा करने वाली अकासा एयर ने कहा है कि वह एशिया में पहली एयरलाइन बन गई है जो बोइंग 737-8-200 विमानों का इस्तेमाल करेगी। (प्रेट्र)

रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश 41 प्रतिशत घटा

नई दिल्ली: अप्रैल-जून 2023 के दौरान भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में संस्थागत निवेश में वार्षिक आधार पर 41 प्रतिशत की कमी रही है। प्रापर्टी कंसल्टेंट वेस्टियन के अनुसार, बीती तिमाही में रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश 1.6 अरब डालर रहा है। हालांकि, तिमाही आधार पर संस्थागत निवेश में 33 प्रतिशत की वृद्धि रही है। वेस्टियन का कहना है कि जून तिमाही में संस्थागत निवेश में विदेशी निवेशकों की बड़ी हिस्सेदारी रही है। (प्रेट्र)

जुलाई में कोल इंडिया का उत्पादन 13 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) का उत्पादन 13.4 प्रतिशत बढ़कर 5.36 करोड़ टन रहा है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि पिछले वर्ष समान महीने में 4.73 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ था। अप्रैल-जुलाई के दौरान कंपनी का उत्पादन 10.7 प्रतिशत बढ़कर 22.91 करोड़ टन रहा है, जो पिछले वर्ष समान अवधि में 20.7 करोड़ टन था। (जाब्यू)

जुलाई में 1.65 लाख करोड़ रहा जीएसटी संग्रह

पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले संग्रह 11% बढ़ा

- आने वाले महीनों में त्योहारी सीजन शुरू होने से जीएसटी संग्रह में हो सकती है और बढ़ोतरी
- जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद पांचवीं बार कर संग्रह 1.60 लाख करोड़ से अधिक रहा

चालू वित्त वर्ष के चार महीनों में जीएसटी संग्रह (करोड़ में)

अप्रैल	187035
मई	157090
जून	161497
जुलाई	165105

स्रोत: वित्त मंत्रालय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: जीएसटी संग्रह में तेजी का सिलसिला जारी है। गत जुलाई माह में जीएसटी संग्रह 1,65,105 करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2017 के जुलाई महीने में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद सिर्फ पांच बार जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ से अधिक रहा है। इस साल जून में जीएसटी संग्रह 1.61 लाख करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल माह में सबसे अधिक 1.87 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ था। जानकारों का कहना है कि आने वाले महीनों में त्योहारी सीजन शुरू होने से वस्तुओं की बिक्री बढ़ने से जीएसटी संग्रह में और बढ़ोतरी हो सकती है। चूंकि जीएसटी संग्रह पूरी तरह से वस्तुओं की बिक्री पर निर्भर करता है, इसलिए टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था में मांग में मजबूती को दर्शाता है।

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई माह में जीएसटी संग्रह में सीजीएसटी की हिस्सेदारी 29,773 करोड़ रही। एसजीएसटी के रूप में 37,623 करोड़ रुपये तो आइजीएसटी के तौर पर 85,930 करोड़ रुपये वसूले गए। अधिभार यानी सेस के मद में 11,779 करोड़ रुपये की वसूली की गई। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई माह में कई राज्यों में होने वाले जीएसटी संग्रह में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी रही। गत जुलाई में उत्तर प्रदेश के जीएसटी संग्रह में 24 प्रतिशत, बिहार में 18 प्रतिशत, हरियाणा में 17 प्रतिशत, पंजाब में 15 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 23 प्रतिशत, जम्मू-कश्मीर में 17 प्रतिशत तो दिल्ली में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही।

गेम आफ स्किल को 28 प्रतिशत जीएसटी से राहत संभव

जाब्यू, नई दिल्ली: आनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के तौर-तरीकों पर जीएसटी काउंसिल बुधवार को विचार करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वर्चुअल तरीके से यह बैठक होगी। 11 जुलाई को काउंसिल ने आनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया था। गेमिंग कंपनियां इस फैसले का विरोध कर रही हैं। खासकर गेम आफ स्किल से जुड़ी कंपनियां इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं। गेम आफ स्किल से जुड़ी 120 कंपनियों ने वित्त मंत्रालय और राज्यों के वित्त मंत्रियों को 28 प्रतिशत जीएसटी को वापस लेने का अनुरोध किया है। इन कंपनियों का कहना है कि गेम आफ स्किल को गेम आफ चांस या कैसिनो की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अभी देश में 40 करोड़ से अधिक ऑनलाइन गेमर्स हैं। सूत्रों के मुताबिक गेम आफ स्किल को 28 प्रतिशत जीएसटी से राहत मिल सकती है। क्योंकि आइटी मंत्रालय भी गेम आफ स्किल के लिए अलग जीएसटी दर के पक्ष में है।

पान मसाला, तंबाकू के निर्यातकों पर सरकार की सख्ती

नई दिल्ली, प्रेट्र: पान मसाला, तंबाकू और इसी तरह की अन्य वस्तुओं के निर्यात पर इंटीग्रेटेड जीएसटी (आइजीएसटी) के स्वचालित रिफंड की प्रक्रिया अब अक्टूबर से बंद हो जाएगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, ऐसी सभी वस्तुओं का निर्यात करने वालों को अपने रिफंड दावों के लिए कर अधिकारियों से संपर्क करना होगा और उनकी मंजूरी लेनी होगी। ये बदलाव एक अक्टूबर से लागू होंगे। विशेषज्ञों ने कहा कि इस कदम का मकसद टैक्स चोरी को रोकना है, क्योंकि हो सकता है कि निर्यात किए जाने वाले सामानों की वैल्यूएशन ज्यादा की गई हो और ऐसी स्थिति में आइजीएसटी रिफंड की राशि भी बढ़ सकती है। जीएसटी अधिकारियों द्वारा रिफंड की जांच करने से बढ़ा-चढ़ाकर वैल्यूएशन बताने पर लगाम लगेगी।

अप्रैल-जून तिमाही में देश में सोने की मांग सात प्रतिशत घटी

- वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कहा, घरेलू बाजार में रिकार्ड ऊंची कीमत के चलते मांग में आई कमी
- ओवर द काउंटर लेनदेन को छोड़कर वैश्विक सोने की मांग दो प्रतिशत गिरकर 921 टन हुई

नई दिल्ली, प्रेट्र: घरेलू बाजार में रिकार्ड ऊंची कीमतों के चलते देश में सोने की मांग इस साल अप्रैल-जून तिमाही के दौरान सात प्रतिशत घटकर 158.1 टन रह गई। एक साल पहले की समान अवधि में सोने की मांग 170.7 टन थी। मूल्य के संदर्भ में बात करें तो दूसरी तिमाही में सोने की मांग का कुल मूल्य 82,530 करोड़ रुपये था जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 79,270 करोड़ रुपये के स्तर पर थी। खास बात यह है कि सोने की मांग में भले ही गिरावट आई हो, लेकिन 2023 की दूसरी तिमाही में सोने का आयात एक साल पहले की अवधि की तुलना में 16 प्रतिशत बढ़कर 209 टन हो गया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 की पहली छमाही में 271 टन की मांग के अनुमान के साथ पूरे वर्ष में सोने की मांग के 650-750 टन रहने की संभावना है।

दूसरी तिमाही में आभूषण की मांग आठ प्रतिशत घटकर 128.6 टन रह गई, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 140.3 टन थी। रिपोर्ट के अनुसार, 18 कैरेट सोने के आभूषणों में तेजी जारी, क्योंकि उपभोक्ताओं में इस तरह के आभूषणों को खरीदने की सामर्थ्य थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 की दूसरी तिमाही के दौरान बार और सिक्कों की मांग में मामूली तीन प्रतिशत की गिरावट देखी गई और यह 29.5 टन रह गई, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 30.4 टन थी।

दो हजार रुपये के 88 प्रतिशत नोट बैंकों में वापस आए : आरबीआइ

मुंबई, प्रेट्र: आरबीआइ ने मंगलवार को बताया कि 31 जुलाई तक 2,000 रुपये के 88 प्रतिशत नोट बैंकों में वापस आ गए हैं और इनका मूल्य 3.14 लाख करोड़ रुपये है। आरबीआइ के अनुसार, अब केवल 42 हजार करोड़ रुपये मूल्य के 2,000 के नोट प्रचलन में बाकी हैं।

आरबीआइ ने एक बयान में बताया कि इस वर्ष 31 मार्च को 3.62 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2,000 रुपये के नोट प्रचलन में थे। 19 मई को 2,000 रुपये के नोटों की वापसी की घोषणा के समय इनका मूल्य घटकर 3.56 लाख करोड़ रुपये रह गया था। आरबीआइ के अनुसार, अब तक कुल वापस आए नोटों में से 87 प्रतिशत बैंक खातों में जमा किए गए हैं जबकि शेष को अन्य मूल्य के नोटों में बदला गया है। 2,000 के नोटों को 30 सितंबर तक बैंक खातों में जमा या बदला जा सकता है।

जुलाई में मारुति सुजुकी की थोक बिक्री तीन प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली, प्रेट्र: मारुति सुजुकी इंडिया की जुलाई में थोक बिक्री तीन प्रतिशत बढ़कर 1,81,630 यूनिट हो गई। कंपनी ने पिछले साल की समान अवधि में अपने डीलरों को कुल 1,75,916 यूनिट भेजी थीं। कुल घरेलू यात्री वाहन की बिक्री 1,52,126 इकाई रही, जो एक साल पहले इसी महीने में 1,42,850 इकाई थी। मिनी सेगमेंट और कांपैक्ट कारों की बिक्री में जहां इस दौरान गिरावट दर्ज की गई, वहीं ब्रेजा, अर्टिगा, फ्रोंक्स, ग्रैंड विटारा, जिम्नी और एक्सएल6 सहित अन्य यूटिलिटी वाहनों की बिक्री दोगुना होकर 62,049 इकाई हो गई।

हुंडई मोटर की बिक्री चार प्रतिशत बढ़ी: हुंडई मोटर इंडिया ने मंगलवार को कहा कि जुलाई में उसकी थोक बिक्री सालाना आधार पर चार प्रतिशत बढ़कर 66,701 इकाई हो गई। कंपनी ने जुलाई, 2022 में अपने डीलरों को 63,851 इकाइयां भेजी थीं। घरेलू बिक्री पिछले महीने मामूली बढ़कर 50,701 इकाई हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 50,500 इकाई थी। पिछले महीने निर्यात 20 प्रतिशत बढ़कर 16,000 इकाई हो गया, जो जुलाई 2022 में 13,351 इकाई था।

अन्य कंपनियों का हाल

- एमजी मोटर की जुलाई में बिक्री 25 प्रतिशत बढ़कर 5,012 इकाई हो गयी। कंपनी की बिक्री जुलाई, 2022 में 4,013 इकाई थी।
- टोयोटा की बिक्री जुलाई में 11 प्रतिशत बढ़कर 21,911 यूनिट रही। जुलाई, 2022 में यह आंकड़ा 19,693 था।
- टाटा मोटर्स की बिक्री एक प्रतिशत घटकर 80,633 यूनिट हो गई। जुलाई, 2022 में कंपनी ने 81,790 यूनिट बेची थीं।

31 जुलाई तक 6.77 करोड़ आइटीआर दाखिल हुए

नई दिल्ली, प्रेट्र: वित्त वर्ष 2022-23 में की गई कमाई के लिए 31 जुलाई तक 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल हुए हैं। आयकर विभाग ने मंगलवार को बताया कि पिछले वर्ष 31 जुलाई के मुकाबले इस बार आइटीआर दाखिल करने वालों की संख्या में 16.1 प्रतिशत की वृद्धि रही है।

विभाग के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 53.67 लाख आइटीआर ऐसे रहे हैं जो पहली बार दाखिल किए गए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 5.83 करोड़ आइटीआर फाइल हुए थे। आयकर विभाग ने कहा कि 31 जुलाई को 64.22 लाख आइटीआर दाखिल हुए हैं। अब आइटीआर दाखिल करने पर करदाताओं को जुर्माना देना पड़ेगा। पांच लाख रुपये तक की आय पर एक हजार और पांच लाख रुपये से ज्यादा आय वालों को पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र की विकास दर में गिरावट

नई दिल्ली, प्रेट्र: जुलाई में लगातार दूसरे महीने भारत की मैन्यूफैक्चरिंग गतिविधियों में गिरावट दर्ज की गई। प्रत्येक महीने होने वाले एक सर्वे के मुताबिक जुलाई में उत्पादन में विस्तार और नए आर्डर की दर में थोड़ी कमी आई। एसएंडपी ग्लोबल इंडिया मैन्यूफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआइ) जून में 57.8 से घटकर जुलाई में 57.7 पर आ गया है।

सर्वे के मुताबिक गिरावट के बावजूद, भारतीय मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र ने मजबूत मांग के चलते विकास की गति को बनाए रखा है। जुलाई का पीएमआइ आंकड़ा लगातार 25वें महीने समग्र परिचालन स्थितियों में सुधार को दर्शा रहा है। एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अर्थशास्त्र निदेशक एंड्र्यू हार्कर ने कहा कि उत्पादन और नए आर्डर में विस्तार की दर जून की तुलना में थोड़ी कम थी, लेकिन कंपनियों ने उसी के अनुसार रोजगार और क्रय गतिविधियों का विस्तार किया।

100 रुपये सस्ता हुआ कमर्शियल सिलेंडर

नई दिल्ली, प्रेट्र: होटल और रेस्तरां में उपयोग होने वाले 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की कटौती की गईहै। कीमतों में कमी के बाद राष्ट्रीय राजधानी में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1,680 रुपये हो गए हैं। वाणिज्यक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कमी का सिलसिला अप्रैल से जारी है। तीन कटौतियों के बाद दाम 346.5 रुपये प्रति सिलेंडर कम हुए हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

महंगी हो सकती है हवाई यात्रा :विमानों में उपयोग होने वाले ईंधन यानी एटीएफ की कीमत में 8.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। अब राष्ट्रीय राजधानी में इसकी कीमत 7,728.38 प्रति किलोलीटर बढ़कर 98,508.26 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई। एक महीने में दूसरी बार कीमतों में बढ़ोतरी की गई है।

डीजल की खपत 4.3% घटी

डीजल की खपत जुलाई में एक साल पहले की तुलना में 4.3 प्रतिशत गिरकर 61.5 लाख टन हो गई। पेट्रोल की बिक्री पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 3.8 प्रतिशत बढ़कर 27.6 लाख टन हो गई। एटीएफ की मांग जुलाई के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3 प्रतिशत बढ़कर 6,03,500 टन हो गई।

बिजली की खपत 139 अरब यूनिट रही

जुलाई में बिजली खपत पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 139 अरब यूनिट रही। एक साल पहले बिजली की खपत 128.25 अरब यूनिट थी। जुलाई में अधिकतम बिजली आपूर्ति 208.82 गीगावाट रही है।

राष्ट्रीय जागरण

बिहार में जाति आधारित गणना को हाई कोर्ट की हरी झंडी

पटना हाई कोर्ट ने बहस सुनने बाद सुरक्षित रखा था फैसला

राज्य ब्यूरो, पटना : पटना हाई कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली आधा दर्जन याचिकाओं के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने जाति आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसी के साथ इस गणना का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने इस मामले में लगातार पांच दिनों तक बहस को सुनने बाद सात जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

न्यायालय ने अपने आदेश से जाति आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को हरी झंडी देते हुए सरकार के फैसले को सही ठहराया। अपने 101 पृष्ठों के फैसले में कहा 'हम राज्य की कार्रवाई को पूरी तरह से वैध पाते हैं, जो न्याय के साथ विकास प्रदान करने के वैध उद्देश्य के साथ उचित सक्षमता के साथ शुरू की गई। राज्य सरकार ने जैसा कि दोनों सदनों में घोषित किया था कि जानकारी देने के लिए किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया गया। राज्य सरकार की कार्रवाई से किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ। यह पूरी कार्रवाई एक 'सम्मोहक सार्वजनिक हित' को आगे बढ़ाने के लिए है।'

सुप्रीम कोर्ट ने तीन जुलाई को पटना हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले में हस्तक्षेप करने से कर दिया था इन्कार

आज से शुरू हो जाएगा काम

जाति आधारित गणना का काम बुधवार से ही पुन: आरंभ हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट के आए फैसले के कुछ घंटे बाद सामान्य प्रशासन विभाग के आला अधिकारियों ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर उन्हें इस बारे में निर्देश दे दिए। जाति आधारित गणना के लिए सामान्य प्रशासन विभाग नोडल महकमा है।

भाजपा द्वारा जाति आधारित गणना को रोकने का प्रयास विफल हो गया। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। बिहार में गणना कराए जाने का रास्ता प्रशस्त हुआ। जातीय गणना राज्य हित में है।

– **राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह**, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू

जातीय गणना आर्थिक न्याय की दिशा में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। हमारी सरकार के जाति आधारित सर्वे से प्रमाणिक, विश्वसनीय और वैज्ञानिक आंकड़े प्राप्त होंगे। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार जातीय गणना करवाए।

– **तेजस्वी यादव**, उपमुख्यमंत्री

घरेलू हिंसा मामले में आश्वस्त होने पर ही गिरफ्तार करे पुलिस : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, आइएएनएस : सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में जोर देकर कहा कि पुलिस को एक विवाहिता से क्रूरता के मामले में स्वतः ही उसके पति और उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। इस संबंध में आठ हफ्तों के अंदर सभी निचली अदालतों और पुलिस प्रशासन को दिशा-निर्देश जारी करने को कहा है।

जस्टिस एस.रवींद्र भट और अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को पहले सीआरपीसी की धारा 41 के तहत पहले गिरफ्तारी की आवश्यकता को लेकर संतुष्ट हो जाना चाहिए। अदालत ने सभी हाई कोर्टों, सभी राज्यों के डीजीपी इसके दिशा-निर्देशों का सकुर्लर जारी करने को कहा। निचली अदालतों और पुलिस प्रशासन को इस संबंध में आठ हफ्ते के अंदर आगाह करने को कहा है।

अर्नेश कुमार से संबंधित फैसले में अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को आरोपितों को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार करने से बचना चाहिए। पुलिस को यह भी कहा गया है कि अगर कोई केस आइपीसी की धारा 498-ए के तहत या दहेज उत्पीड़न के तहत दर्ज किया गया है तो पुलिस अधिकारी स्वतः ही आरोपित की गिरफ्तारी नहीं करें। यह दिशा-निर्देश उन मामलों में भी लागू होंगे जिनमें अपराध की सजा सात साल या उससे कम की कैद होती है।

अनुच्छेद-370 हटाने के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 समाप्त किए जाने के विरुद्ध दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार से प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की रूपरेखा तय कर दो अगस्त से नियमित सुनवाई करने की बात कही थी। शीर्ष कोर्ट ने साफ किया था कि मामले की सुनवाई नियमित सुनवाइयों के दिन यानी मंगलवार, बुधवार और वीरवार को होगी। सोमवार और शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट में मिसलेनियस-डे कहे जाते हैं जिन दिनों नए मामलों की सुनवाई होती है। पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं।

दुष्कर्म से पैदा होने वाले बच्चे को अपनाने से पीड़िता ने किया इन्कार

- हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिया आदेश, प्रसव के बाद बच्चे की ले कस्टडी
- कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी चरणों में मां की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में गर्भ को समाप्त करने की असंभवता और दुष्कर्म से पैदा हुए बच्चे को लेने से मां के इन्कार पर हरियाणा सरकार को प्रसव के बाद बच्चे की कस्टडी लेने का आदेश दिया है। इस मामले में हरियाणा के रेवाड़ी जिले की महिला ने बच्चे को अपने पास रखने से इन्कार कर दिया, क्योंकि यह उसे दुष्कर्म की याद दिलाता रहेगा और बच्चा उसके स्थायी सामाजिक बहिष्कार आधार बन जाएगा। समय ज्यादा होने के कारण भ्रूण को खत्म करने के खिलाफ पीजीआइ चंडीगढ़ द्वारा दी गई एक चिकित्सीय राय के कारण गर्भावस्था को समाप्त नहीं किया जा सका।

हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जन्म पर बच्चे को बाल कल्याण समिति सौंपा जा सकता है। संबंधित जिले की बाल कल्याण समिति महिला के बच्चे को जन्म देने के बाद अधिकारियों को सौंपने के संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी करेगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सभी चरणों में मां की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी और अस्पताल में भर्ती होने और इलाज के दौरान याचिकाकर्ता की पहचान उजागर नहीं की जाएगी।

हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने हरियाणा के रेवाड़ी जिले की एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किए हैं। महिला के साथ रेवाड़ी निवासी एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था, जिसके संबंध में एफआइआर दर्ज हो चुकी है। उसने गर्भ को गिराने की मांग के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि उसका गर्भ 26 सप्ताह से ज्यादा का हो चुका था। उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पीजीआई चंडीगढ़ को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया था ताकि याचिकाकर्ता की जांच की जा सके और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

थम नहीं रहा मणिपुर के मुद्दे पर गतिरोध

राज्यसभा में 11वें दिन भी जारी रहा टकराव, खरगे ने कहा- डरेगा नहीं आइएनडीआइए, मुकाबला कर भाजपा-राजग को हराएगा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद में लगातार 11 दिनों से सरकार और विपक्ष में जारी टकराव अब तीखे दौर में पहुंच गया है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के जरिये मणिपुर पर सरकार को घेरने का इंतजार कर रहे विपक्ष ने राज्यसभा में नियम-267 के तहत नोटिसों को लगातार खारिज किए जाने को तानाशाही करार दिया है। विपक्षी आइएनडीआइए (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) गठबंधन के दलों ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा में मणिपुर पर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा और सवाल उठाने पर सभापति के जरिये विपक्ष के विरुद्ध कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर आरोप लगाया कि आइएनडीआइए गठबंधन ऐसी धमकियों से डरे बिना संसद में विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिशों का जोरदार मुकाबला करेगा। वहीं, सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्यसभा में वह मणिपुर पर नियम-176 के तहत चर्चा के लिए राजी है। सोमवार को इस नियम के तहत चर्चा की शुरुआत भी हो गई थी।

संसद के दोनों सदनों विशेष रूप से राज्यसभा में मणिपुर को लेकर मंगलवार को हुए हंगामे के बाद आइएनडीआइए के नेताओं ने खरगे के नेतृत्व में विजय चौक पर संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार दुष्प्रचार कर रही है कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता। वास्तविकता यह है कि सरकार नियम-176 के तहत दो-ढाई घंटे की चर्चा कराकर खानापूर्ति कराना चाहती है, जबकि विपक्ष नियम-267 में लंबी-व्यापक चर्चा का आग्रह कर रहा है ताकि मणिपुर की गंभीर घटना पर समग्र चर्चा हो सके। डेरेक ओ ब्रायन, मनोज झा, संजय सिंह, केशव राव समेत कई अन्य विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में खरगे ने कहा कि सदन में सभापति के जरिये सरकार हमें नतीजे भुगतने की धमकी दिलवा रही है। आप के सदस्य संजय सिंह को अनुचित तरीके से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया तो कांग्रेस सदस्य रजनी पाटिल का पिछले सत्र में हुआ निलंबन अभी तक खत्म नहीं किया गया है। यह तानाशाही व्यवहार है, लेकिन आइएनडीआइए की पार्टियां डरकर भागने वाली नहीं हैं, बल्कि डटकर मुकाबला करेंगी और भाजपा-राजग को हराएंगी।

इससे पूर्व राज्यसभा में सत्तापक्ष और सभापति के साथ विपक्ष की जमकर तकरार हुई और हंगामे की वजह से सदन दो बार स्थगित भी हुआ। खरगे ने विपक्ष के 65 सांसदों के नियम-267 के तहत दिए नोटिस का हवाला देते हुए मणिपुर पर चर्चा मांग की और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सदन में ऐसी चर्चाओं के उदाहरण गिनाए। सत्तापक्ष ने इसका विरोध करते हुए भारी शोर-शराबा किया और आरोप लगाया कि विपक्ष नियम-176 के तहत चर्चा से भाग रहा है।

अविश्वास प्रस्ताव पर आठ अगस्त से होगी तीखी चर्चा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: नरेन्द्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अगले सप्ताह मंगलवार से चर्चा शुरू होगी। चर्चा के आखिरी दिन 10 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी इसका जवाब देंगे और 11 अगस्त को मानसून सत्र खत्म होगा। हालांकि विपक्ष के मुकाबले सरकार के पास दोगुने से ज्यादा समर्थन होने के कारण प्रस्ताव का खारिज होना तय है लेकिन माना जा रहा है कि तीन दिन तक चलने वाली चर्चा बहुत तीखी होगी। इसमें आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 लोकसभा चुनाव के मुद्दों की झलक भी नजर आएगी।

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर विपक्ष और सरकार दोनों खेमों तैयारी तेज हो गई है। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस की ओर से उत्तर पूर्व से आने वाले गौरव गोगोई करेंगे। भाजपा की ओर से भी उत्तर पूर्व के दो से ज्यादा सदस्य हिस्सा ले सकते हैं। सरकार की कोशिश होगी कि उत्तर पूर्व के सदस्य ही कांग्रेस काल में क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाएं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पर विपक्ष के आरोपों की धार कुंद करने की कोशिश करेंगे और अब तक मणिपुर में हुए चार बड़े दंगों के दौरान कांग्रेस की प्रतिक्रिया का भी खुलासा करेंगे। इस चर्चा में प्रत्येक दल के नेता को बोलने का समय दिया जाएगा।

बताया जा रहा है कि दो दिन में चर्चा खत्म करने की कोशिश होगी और तीसरे दिन प्रधानमंत्री जवाब देंगे। ध्यान रहे कि 2018 में विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री चुटकी ली थी और कहा था कि 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लाने का कांग्रेस को फिर से अवसर मिलेगा। बीजद, वाइएसआरसीपी, टीडीपी जैसे कुछ दल अभी भी किसी खेमे में नहीं हैं लेकिन यह देखना रोचक होगा कि वह इस प्रस्ताव पर क्या सोच रखते हैं? लोकसभा में राजग के पास 330 से ज्यादा का संख्या बल है और विपक्ष के पास 145 के आसपास और लगभग 70 वोट तटस्थ है।

जौनपुर में मुहर्रम जुलूस में लगे देशविरोधी नारे, 33 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जौनपुर : उप्र के जौनपुर में शनिवार को दसवीं मुहर्रम पर निकाले जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे। सोमवार शाम इंटरनेट मीडिया पर इसका वीडियो प्रसारित हुआ तो पुलिस ने छापेमारी कर 33 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ राष्ट्रीय एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाली टिप्पणी करने व सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी आरोपितों को मंगलवार को जेल भेज दिया गया।

प्रसारित वीडियो में एक युवक को माइक पर नारे लगवाते देखे-सुने जाने के बाद परशुराम सेवा संस्थान चौकी खुर्द के पदाधिकारियों ने पुलिस को अवगत कराया। मछलीशहर के एसडीएम राजेश चौरसिया 10 थानों की फोर्स लेकर गोधना बाजार पहुंचे और मुख्य आरोपित साहिल अली समेत 33 युवकों को पकड़ लिया।

फॉर्म ए
सार्वजनिक सूचना
(भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के तहत)
सीएमआई लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण		
1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	सीएमआई लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	22 जून 1967
3.	प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, आरओसी-दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित देयता पहचान संख्या	L74899DL1967PLC018031
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	[illegible]
6.	कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में दिवालियापन प्रारंभ होने की तिथि	28 जुलाई 2023
7.	दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के बंद होने की अनुमानित तिथि	28 जनवरी 2024 (आदेश की प्रति प्राप्त हुई 01 अगस्त 2023)
8.	अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने वाले पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	दीपक मैनी पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00676/2017-2018/11149
9.	बोर्ड के पास पंजीकृत अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ई-मेल	सी-103, सेक्टर-2, नोएडा, यू.पी.-201301 [illegible]
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल	कृपया यहां दावा प्रस्तुत करें:- दीपक मैनी द्वारा [illegible], सी-103, सेक्टर-2, नोएडा, यूपी-201301, ई: [illegible]
11.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	15 अगस्त 2023 [illegible]
12.	[illegible]	लागू नहीं
13.	[illegible]	लागू नहीं
14.	(क) प्रासंगिक फार्म और (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है:	(क) https://ibbi.gov.in/home/downloads (ख) लागू नहीं

[illegible]

सं/-
दीपक मैनी
अंतरिम समाधान पेशेवर
सीएमआई लिमिटेड
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00676/2017-2018/11149
पता : सी 103, सेक्टर-2, नोएडा, यूपी-201301
दिनांक : 02 अगस्त, 2023